



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 14.10.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

पारुल पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-14.10.2024

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

शमीम पुत्र मौ0 हनीफ निवासी पट्टी मैनमाना करबा टीकरी थाना जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 1077 सन्तोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक-14.10.24

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/24 धारा 110/115(2)/191(2)(3)/333/352 BNS में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की पाइप बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.06.24 को थाना बालैनी पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. सुन्दर सिंह, 2.हरेन्द्र, 3.उपदेश पुत्रगण कालूराम उर्फ रोहताश व 02 महिलाओं निवासीगण ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वादिया के घर में घुसकर उसके व उसके पुत्र के साथ गाली-गलौज करते हुए लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिससे उसका पुत्र गंभीर



रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 149/24 धारा 110/115(2)/191(2)(3)/333/352 BNS पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 149/24 धारा 110/115(2)/191(2)(3)/333/352 BNS में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की पाइप बरामद हुई है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियु का नाम व पता-

सुन्दर सिंह पुत्र कालूराम उर्फ रोहताश निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की पाइप ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-व0उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह सिद्धू थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 35 सुनील कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 14.10.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 226/24 धारा 137(2)/64(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 226/24 धारा 137(2)/64(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर उर्फ सोराब पुत्र कय्यूम शेख निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-म0उ0नि0 शीलेश चौधरी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 669 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 1104 चक्रपाल थाना बिनौली जनपद बागपत ।

